

जनपद बाराबंकी

दिनांक 04.07.2021

थाना सतरिख पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार कर एक स्कार्पियो व 05 ट्रैक्टर बरामद-

दिनांक-02.07.2021 को वादी रामधन पुत्र बिंद्रा प्रसाद निवासी जरूआ मजरे भिटौली कलां थाना सतरिख जनपद बाराबंकी ने थाना सतरिख पर तहरीर दी कि उसके भाई प्रधानपति बलराम सिंह द्वारा विपक्षी प्रदीप कुमार आदि को सरकारी जमीनों पर अवैध खनन करने से मना करने पर विपक्षीगण द्वारा जान से मार देने की नियत से भाई बलराम सिंह व अन्य के साथ मारपीट की गई एवं बलराम सिंह के ऊपर जान से मारने की नियत से स्कार्पियो चढ़ा दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सतरिख पर मु0अ0सं0 158/2021 धारा 323/504/506/307 भादवि0 बनाम प्रदीप कुमार आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक सतरिख के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 04.07.2021 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शिवम यादव पुत्र प्रदीप कुमार यादव उर्फ लल्लू यादव निवासी इब्राहिमपुर मजरे भिटौली कला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को हासेपुर नहर पुलिया थाना सतरिख से गिरफ्तार किया गया एवं मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित स्कार्पियो वाहन संख्या यूपी032 जी0डब्ल्यू 5533 व 05 अदद ट्रैक्टर बरामद किया गया एवं उक्त अभियोग में धारा 427 भादवि0 की बढोत्तरी की गई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवम यादव पुत्र प्रदीप कुमार यादव उर्फ लल्लू यादव निवासी इब्राहिमपुर मजरे भिटौली कला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी-

1. एक अदद स्कार्पियो यूपी032 जी0डब्ल्यू 5533
2. पांच अदद ट्रैक्टर

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार वर्मा थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री पशुपति नाथ तिवारी थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 शिव बहादुर सिंह, हे0का0 संतोष कुमार शुक्ला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।
4. का0 अनूप कुमार सिंह थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।